<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी	-	आशीष मीना, आर.जे.एस.
नि.फौ.प्रकरण संख्या	-	309/2025

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

01- भैरूलाल पुत्र देवसिंह,

02- मांगीलाल पुत्र बालचंद,

03- हंसराज पुत्र देवीलाल, निवासीगण-चौत्याखेड़ी, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड़

अभियुक्तगण....

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 309(4), 126(2) भारतीय न्याय संहिता धारा 4/25 आर्म्स एक्ट</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री भूरालाल मीना, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः- 24-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4), 126(2) का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 01-04-2025 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 20-08-2024 को फरियादी भगवानसिंह ने हमराह उसके जीजा सोनू के उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह ग्राम बरेडा थाना सारोना का रहने वाला है। आज सुबह 11 बजे करीब वह घर से उसके जीजा जी मोनू जी की मोटरसाईकिल नंबर आर.जे 33 एस.एफ 0881 में उसकी मौसी के यहां असनावर आया था जहां से होकर 1 बजे करीब वापस गांव जाने लिए निकल गया था। फिर वह डूंगरगांव की घाटी में जंगल के अन्दर माताजी के दर्शन करने के लिय जा रहा था कि रास्ते में समय करीब 2 बजे उसके मामने से एक मोटरसाईकिल जिस पर तीन लड़के बैठे हुए थे मोटरसाईकिल को चलाते हुए लाये और उसकी गाड़ी के आगे लगाकर उसे आड़े फिरकर रोक लिया और तीनों ही उसके साथ आमक अमा हो थपड़ों में मारपीट करने लगे और उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू निकाल कर उसकी गर्दन पर रख दिया और उसकी जेब में रखे दो 500-500 रुपये के नोट कुल 1,000 हजार रुपये लूट लिये और उसकी मोटरसाईकिल भी छुड़ाकर ले गए। फिर उसने उनसे छूट कर अपनी जान बचाई तो तीनों व्यक्ति जिस मोटरमाईकिल में आये थे उसके नम्बर आर.जे 17 एस.एल 2540 थे। फिर उसने घाटी से नीचे उतरते समय उसके जीजाजी सोनू जी व उसके दोस्त देशराज भील निवासी बरेडा को सारी घटना बताई। फिर करीब 1 घन्टे बाद उसका दोस्त व उसके जीजाजी मोनू जी उसे गेहूंखेड़ी चौराहा पर आते हुए मिले। फिर मैंने उनको सारी घटना बताई और फिर हमने उन सडकों की तलाश कि तो उसे पता चला कि उसके साथ लूटपाट व मारपीट करने

वाले व्यक्तियों के नाम हंसराज पुत्र देवीलाल भील व मांगीलाल एवं बालचंद भील और भैरूलाल पुत्र देवीसिंह भील निवासी चोथ्याखेड़ी के रहने वाले हैं। उसने वहां से भागकर जान बचाया नहीं तो तीनों उसे जान से मार देते।, इत्यादि।

03- उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 425/2024, अन्तर्गत धारा 309(4), 126(2) भा.न्या.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 309(4), 126(2) भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- अभियुक्तगण को धारा 309(4), 126(2) भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 भगवानसिंह, पी.डब्ल्यू. 02 देशराज, पी.डब्ल्यू. 03 सोनू, पी.डब्ल्यू. 04 पवन, पी.डब्ल्यू. 05 लालाराम, पी.डब्ल्यू. 06 दशरथ शर्मा को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 17 व 17ए तक के दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्तगण परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित घटना के चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है तथा घटना का कोई स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी नहीं बनाया गया है एवं सभी गवाहान परिवार जन होकर हितबद्ध गवाहान है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्तगण ने दिनांक 20-08-2024 को समय दोपहर करीब दो बजे के लगभग मौजा डूंगरगांव की घाटी से माताजी के मंदिर के रास्ते में आपने परिवादी भगवानसिंह के कब्जे से बेईमानी से उसकी जेब से 1,000/-

रूपए निकल लिए व उसकी मोटरसाईकिल छुड़ा ली एवं ऐसा करते हुए परिवादी को तत्काल उपहति/तत्काल सदोष अवरोध का स्वेच्छया भय कारित किया व फरियादी भगवान सिंह को आड़े फिरकर उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोकर उसका सदोष अवरोध कारित किया व दिनांक 24.08.2024 को समय 11.45 ए.एम पर बमुकाम मौजा ग्राम चौत्याखेड़ी स्थित आपके निवासी से दौराने अनुसंधान पुलिस थाना अकलेरा द्वारा एक धारदार लौहे का छुर्रा धारदार हथियार बरामद किए जिसे स्वयं के कब्जे में रखने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 309(4), 126(2) भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हां तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी भगवानसिंह द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि वह ग्राम बरेडा थाना सारोला का रहने वाला है। आज सुबह 11 बजे करीब वह घर से उसके जीजा जी मोनू जी की मोटरसाईकिल नंबर आर.जे 33 एस.एफ 0881 में उसकी मौसी के यहां असनावर आया था जहां से होकर 1 बजे करीब वापस गांव जाने लिए निकल गया था। फिर वह डूंगरगांव की घाटी में जंगल के अन्दर माताजी के दर्शन करने के लिय जा रहा था कि रास्ते में समय करीब 2 बजे उसके मामने से एक मोटरसाईकिल जिस पर तीन लड़के बैठे हुए थे मोटरसाईकिल को चलाते हुए लाये और उसकी गाड़ी के आगे लगाकर उसे आड़े फिरकर रोक लिया और तीनों ही उसके साथ आमक अमा हो थपड़ों में मारपीट करने लगे और उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू निकाल कर उसकी गर्दन पर रख दिया और उसकी जेब में रखे दो 500-500 रुपये के नोट कुल 1,000 हजार रुपये लूट लिये और उसकी मोटरसाईकिल भी छुड़ाकर ले गए। फिर उसने उनसे छूट कर अपनी जान बचाई तो तीनों व्यक्ति जिस मोटरमाईकिल में आये थे उसके नम्बर आर.जे 17 एस.एल 2540 थे। फिर उसने घाटी से नीचे उतरते समय उसके जीजाजी सोनू जी व उसके दोस्त देशराज भील निवासी बरेडा को सारी घटना बताई। फिर करीब 1 घन्टे बाद उसका दोस्त व उसके जीजाजी मोनू जी उसे गेहूंखेड़ी चौराहा पर आते हुए मिले। फिर मैंने उनको सारी घटना बताई और फिर हमने उन सडकों की तलाश कि तो उसे पता चला कि उसके साथ लूटपाट व मारपीट करने वाले व्यक्तियों के नाम हंसराज पुत्र देवीलाल भील व मांगीलाल एवं बालचंद भील और भैरूलाल पुत्र देवीसिंह भील निवासी चोथ्याखेड़ी के रहने वाले हैं। उसने वहां से भागकर जान बचाया नहीं तो तीनों उसे जान से मार देते।, इत्यादि।

12- प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 06 गवाहान को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिनमें सर्वप्रथम गवाह प्रकरण का फरियादी भगवानसिंह न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में अपने द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि वह मुल्जिमान को पहले से नहीं पहचानता है। अगर उसके सामने आ जाए तो आज नहीं पहचान सकता। उसके मारपीट होने से कोई

चोटें नहीं आई थी। इससे पहले वह कभी मंदिर पर नहीं गया था। उसे मुल्जिमान के नाम पते बाद में पुलिस द्वारा बताए गए थे। उसने सामने वाली मोटरसाईकिल के नंबर नहीं देखे थे। घटना के समय आसपास के खेत वाले वहां पर काम कर रहे थे परंतु उसने घटना के बारे में आसपास काम करने वालों को नहीं बताया था। वह रिपोर्ट कराने थाने में आया जब पुलिस वालों ने उसके साथ घटना करने वाले लोगों के नाम रिपोर्ट में लिखवाए थे।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 01 देशराज है जो कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 का गवाह है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में घटना की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई अर्थात उक्त गवाह घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है। उसने भगवानसिंह के पास घर से रवाना होते समय पैसे नहीं देखे थे। घटनास्थल पर मुल्जिमान की मोटरसाईकिल नहीं देखी थी। भगवानसिंह के साथ मारपीट की तब कोई निशानी नहीं थी।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 03 सोनू है। उक्त गवाह ने न्यायालय बयानों में कथन किया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई अर्थात उक्त गवाह घटना की चश्मदीद साक्षी नहीं है।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 04 पवन है जो कि फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 07 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 08 व 09 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि मोटरसाईकिल रास्ते के पास में जंगल की झाड़ियों में पड़ी हुई थी। मुल्जिमान को कहां से गिरफ्तार किया था, उसे याद नहीं है। जिस घर से मोटरसाईकिल बरामद की है उस घर के आसपास किस किसके मकान है, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अनुसंधान अधिकारी ने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए थे और ना ही उस घर के बारे में कोई पूछताछ की थी। उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि ऐसे चाकू छुर्रे घरों में घरेलू कामकाज करने के लिए मिल जाते हैं।

16- गवाह पी.डब्ल्यू. 05 लालाराम है जिसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गा था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि मुल्जिमान को थाने पर ही गिरफ्तार किया था। जो नोट जप्त किए थे वह भारतीय मुद्रा है और ऐसे नोट आम भारतीय के पास मिल जाते हैं। जप्तीस्थल के पास आम रोड़ नहीं है, केवल कच्चा रास्ता है। मुल्जिम के घर से जप्ती की मोटरसाईकिल के जप्तीस्थल मकान पर उसके परिवार के सदस्य मौजूद थे। मुल्जिम से जप्त किया गया चाकू अमूमन हर घर में मिल जाता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 06 दशरथ शर्मा है जो कि वक्त घटना मालखाना इंचार्ज था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि माल जमा करवाने के हस्ताक्षर नहीं करवाए थे।

17- इस प्रकार प्रकरण फरियादी सहित सभी गवाहों ने एक स्वर में स्वीकार किया है कि वे मुल्जिमान को पहले से नहीं पहचानते। अगर उनके सामने आ जाए तो भी वे नहीं पहचान सकते। प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण भी चश्मदीद साक्षी नहीं है। उक्त दोनों ही गवाहान ने स्वीकार किया है कि उनके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई। जप्ती से संबंधित गवाहान ने भी स्वीकार किया है कि जप्तशुदा चाकू आम तौर पर घरों में मिल जाता है एवं उनके द्वारा जप्ती से संबंधित कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया और ना ही स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए किसी को भेजा गया और स्वतंत्र गवाह बनने से इंकार करने के बाद ना ही उनके द्वारा

किसी व्यक्ति पर कोई कार्यवाही की गई। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से अपराध कारित किया जाना साबित नहीं हुआ है।

18- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 20-08-2024 को समय दोपहर करीब दो बजे के लगभग मौजा डूंगरगांव की घाटी से माताजी के मंदिर के रास्ते में आपने परिवादी भगवानसिंह के कब्जे से बेईमानी से उसकी जेब से 1,000/-रूपए निकल लिए व उसकी मोटरसाईकिल छुड़ा ली एवं ऐसा करते हुए परिवादी को तत्काल उपहति/तत्काल सदोष अवरोध का स्वेच्छया भय कारित किया व फरियादी भगवान सिंह को आड़े फिरकर उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोकर उसका सदोष अवरोध कारित किया व दिनांक 24.08.2024 को समय 11.45 ए.एम पर बमुकाम मौजा ग्राम चौत्याखेड़ी स्थित आपके निवासी से दौराने अनुसंधान पुलिस थाना अकलेरा द्वारा एक धारदार लौहे का छुर्रा धारदार हथियार बरामद किए जिसे स्वयं के कब्जे में रखने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। अतः अभियुक्तगण धारा 309(4), 126(2) भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

19- अतः अभियुक्तगण 01- भैरूलाल पुत्र देवसिंह, 02- मांगीलाल पुत्र बालचंद, 03- हंसराज पुत्र देवीलाल, निवासीगण-चौत्याखेड़ी, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड़ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 309(4), 126(2) भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के पूर्व के हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

20- अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437क द.प्र.सं. के तहत 10,000-10,000/- के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला झालावाड़ राज.

21- निर्णय आज दिनांक 24-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला झालावाड़ राज.

प्रमाण-पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(राजाराम मीना)
स्टेनो ग्रेड ।।।

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।